फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भूरीबाई
विपक्षी : श्री प्रकाश मेघवाल
किस्म मुकदमा – 53,188 रा0का0अ0
पत्रावली संख्या : 67/25
जीसीएमएस : 2025/132

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक :– 26.05.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीया उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 9, 16 का वकालत पत्र मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा.दी. का अधिवक्ता श्री रोशनलाल डांगी द्वारा प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा.दी. पर सुनी गई। अधिवक्त उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादीया श्रीमती भूरीबाई द्वारा ग्राम घासा पटवार हल्का घासा तहसील घासा की आराजी नम्बर 4853 रकबा 0.2185 हैक्टयर भूमि के संबंध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 के तहत प्रस्तुत किया है। इसी आराजीयात के संबंध में वादीया स्वयं द्वारा पूर्व में भी एक वाद प्रस्तुत किया गया था। जिसके प्रकरण संख्या 218/21 वाद उनवान भूरीबाई बनाम देवीलाल है। पूर्व के वाद में दिनांक 31.12.2021 को न्यायालय हाजा द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। जिसकी अपील श्रीमान आरएए महोदय, उदयपुर के यहां की गई। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीया द्वारा पूर्व में एक वाद प्रस्तुत किया गया था। परन्तु फिर भी एक नया वाद पुनः प्रस्तुत कर दिया गया। दोनो प्रकरणो में वादीया द्वारा एक ही अनुतोष चाहा गया है तथा दोनो प्रकरणो में पक्षकार भी समाना है। ऐसे में उक्त वाद रेस जुडिकाटा (Res Judicata) का सिद्धांत से बाधित है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 रेस जुडिकाटा के सिद्धांत को समाहित करती है, जो बताता है कि एक ही वाद के कारण के लिए किसी व्यक्ति को बार–बार परेशान नहीं किया जा सकता है। ऐसे में प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा.दी. स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा वादीया का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 के तहत खारिज योग्य पाया जाता है। **: : आदेश : :** परिणास्वरूप प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद रेस जुडिकाटा (Res Judicata) के सिद्धांत से बाधित होने से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Ramesh Shri Punadia Date: 2025.09.17 13:11:28 IST Reason: SelfAttested (रमेश चन्द्र पुनाडिया, R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली	